न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 84 / 2019 **दायर दिनांकः 12 / 06 / 2019**

उनवान

1. ललित नागर आयु 40 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा
2. भूपेश नागर आयु 37 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा
3. लीना नागर आयु 32 वर्ष पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामनारायण आयु 70 वर्ष पुत्र जोधराज जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश दिनाकः 10 / 02 / 2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू मे खाता संख्या 145 की ख0नं0 601 रकबा 1.69 है0, ख0नं0 624 रकबा 4.11 है0 कुल 2 किता रकबा 5.80 है0 आराजी वादीगण के पिता रामनारायण पुत्र जोधराज प्रतिवादी क्रम 1 के खाता दर्ज चली आ रही हैं। जिसके एक मात्र वारिस वादीगण हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णत आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पिता से विरासत मे प्राप्त हुई हैं। वादीगण के पिता की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त हैं। वादीगण के पिता उक्त वर्णित आराजी को कही रहन एवं बैचान करना चाहता है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। अगर वह ऐसा करते है तो वादीगण के नैसर्गिक अधिकारो

का हनन होगा। अतः वादीगण को अधिकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा समभाग खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं। वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के पिता ने काश्त करने हेतु अलग अलग आराजी दे रखी हैं। लेकिन आराजी मे हमारा हिस्सा दर्ज नही होने से कृषि विकास कार्य, खाद बीज खरीदने व बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि समस्याओ का सामना करना पडता है अतः वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णत आराजी मे संयुक्त रूप से समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे। जसके हम अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है मामला मात्र नाम दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी0पी0सी0 को नोटिस नही दिया गया हैं। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से हमारा नाम खाते में संयुक्त रूप से दर्ज करने का मौखिक निवेदन के बावजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) यह कि वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान कया जावें।

(ब) यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है। तथा प्रतिवादी के खाते आराजी में वादीगण को समभाग रूप से खातेदार कृषक घोषित करने में प्रतिवादी एवं वादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें।

पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री चन्दालाल नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री महावीर नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया॥

पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल सहरोद की खाता संख्या 145 किता 2 कुल रकबा 5.80 है0 वादीगण के पिता रामनारायण पुत्र जोधराज के खाते दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमे वादीगण का हिस्सा निहित है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::कियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल सहरोद की खाता संख्या 145 किता 2 कुल रकबा 5.80 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4—1/4—1/4—1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 84/2019

1. ललित नागर आयु 40 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा
2. भूपेश नागर आयु 37 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा
3. लीना नागर आयु 32 वर्ष पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामनारायण आयु 70 वर्ष पुत्र जोधराज जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट

व धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल सहरोद की खाता संख्या 145 किता 2 कुल रकबा 5.80 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 15:04:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: